न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–117/2010

CIS No.-127/2019

कंचल देवी.....वादिनी

बनाम

रितेश कुमार मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
25.06.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादिनी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 26.04.2022 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादिनी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण द्वारा किये गए गसवन को हटाने तथा मद नं0–03 में वर्णित भूमि को अपनी हकियत की घोषणा हेतु यह वाद लाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा खाता–03, खेसरा–133, 134 एवं 135, रकबा एक कट्ठा भूमि को गसवन कर फूस का घर वो ईट से चारदीवारी कराई गयी है एवं पक्का मकान बनाने हेतु ईट, बालू, छड़, सीमेंट सामग्री गिराया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी पक्का मकान बनाने का कार्य किया जा सकता है एवं निर्माण कार्य कर वादग्रस्त भूमि का स्वरूप में परिवर्तन कर देने की संभावना बनी हुई है। लेहाजा एक अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर वादग्रस्त भूमि के यथास्थिति के संबंध में एक जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आना न्यायहीत में आवश्यक है। अधिवक्ता आयुक्त की बहाली में आने वाले खर्च को वादिनी वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादिनी का आवेदन दिनांक 26.04.2022 को स्वीकार कर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा करें। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। स्वत्व वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस सम्बन्ध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादिनी अधिवक्ता आयुक्त के खर्चे को वहन करने को तैयार है।	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–117/2010

CIS No.-127/2019

कंचल देवी.....वादिनी

बनाम

रितेश कुमार मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 25.06.2025	अतः वादिनी का आवेदन दिनांक 26.04.2022 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री अमित वर्मा को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर न्यायालय में समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2000/– रूपये वादिनी के द्वारा वहन किया जाएगा। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि जाँच में अधिवक्ता आयुक्त का सहयोग करें। कार्यालय रिट जारी करें। वाद दिनांक 05.07.2025 को अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	